



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1056/2010, 1057/2010 एवं 1058/2010/जयपुर

उनवान- मे० हर्षित एसोसियेट्स, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान तृतीय, जयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख हस्ताक्षर जो प्रथम की तारीख में जारी हुआ
08.04.2015	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री मदन लाल — सदस्य</u> <u>श्री मनोहर पुरी — सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी प्रार्थी अनुपस्थित, प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री डी.पी. औझा उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी एग्नेस्टी स्कीम वर्ष 2015 अधिसूचना संख्या एफ/12(16) एफडी/कर/2009-188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते हैं, इस हेतु प्रकरण वापस (Withdraw) लेना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलों को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपीलों को विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 1056/2010, 1057/2010 एवं 1058/2010/जयपुर जरिये विद्वान (Withdrawal) खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">               (मनोहर पुरी)              सदस्य         </div> <div style="text-align: center;">               (मदन लाल)              सदस्य         </div> </div>	